रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2009/कार्तिक 13, 1931 [रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 218
No. 171] DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2009/KARTIKA 13, 1931 [N.C.T.D. No. 218

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (कर एवं स्थापना) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 नवम्बर, 2009

संफा. 3(9)/वित्त (क. एवं स्था)/2009-10/जेएसएफ/471.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पदग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं, अर्थात् :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	श्री वी. बी. राय	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
2.	श्री सुन्दर बोरा	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
3.	श्री लोकेश प्रसाद सिन्हा	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अजय कुमार गर्ग, संयुक्त सचिव

FINANCE (T&E) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 4th November, 2009

No. F. 3(9)/Fin. (T&E)/2009-10/JSFin./471.— In exercise of the power conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officer, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely:—

S.No.	Name of the Officer	Appointed As
1.	V.B. Rai	Assistant Value Added Tax Officer
2.	Sunder Bora	Assistant Value Added Tax Officer
3.	Lokesh Prasad Sinha	Assistant Value Added Tax Officer

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

AJAY KUMAR GARG, Jt. Secy.

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 नवम्बर 2009

सं. फा. 3(1)/एफएएस/यूएपीडब्ल्यूडी/डीएसडब्ल्यू /06-07/1880-1891.–अधिसूचना सं. फा. 3(1)/एफएएस/यूएपीडब्ल्यूडी/डीएसडब्ल्यू/06-07/9164-174 दिनांक 17 अप्रैल, 2008 के अनुसार प्रकाशित ''दिल्ली विशेष जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये बेरोजगारी भत्ता एवं निर्वाह भत्ता योजना, 2008'' अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, विशेष जरूरतमंद वाले बच्चों की देखभाल करने वालों तथा विकलांग बेरोजगार व्यक्तियों की सहायता के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं :

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(क) इन नियमों को विशेष जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये वित्तीय सहायता, 2009 कहा जाये ।

(ख) ये नियम संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होंगे ।

(ग) ये नियम दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. लक्ष्य एवं उद्देश्य

1. विशेष जरूरत वाले उन बच्चों की देखभाल, जिनकी देखभाल करने के लिये अधिक लागत होती है ।
2. अपंगता वाले व्यक्तियों का प्रशिक्षण एवं रोजगार सुगम बनाना ताकि वे समाज में अपनी भूमिका को भलीभाँति निभा सकें और प्रतिष्ठा सहित जीवन यापन कर सके ।
3. विशेष जरूरत की अपेक्षा रखने वाले व्यक्ति तथा उनके परिवार की रक्षा सुनिश्चित करने में मदद करना ।

3. परिभाषाएं

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इस योजना में,-

(क) ''अधिनियम'' का अर्थ अपंगता वाले व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) ।

(ख) ''आवेदक'' का अर्थ विशेष जरूरत वाला कोई व्यक्ति, जिसकी आयु 0-60 वर्ष के बीच हो जिसने इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिये आवेदन या उसके माता-पिता या विधिक अभिभावक के या पति/पत्नी या व्यक्ति के किसी वयस्क बच्चे ने इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध किया है ।

(ग) ''आवेदन पत्र'' का अर्थ इन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित आवेदन पत्र से है ।

(घ) ''सक्षम प्राधिकारी'' का अर्थ पैराग्राफ 6 के अन्तर्गत वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिये सक्षम प्राधिकारी से है ।

(ङ) ''परिवार'' का अर्थ माता-पिता यदि माता-पिता जीवित नहीं है तो कानूनी अभिभावक, यदि अवयस्क अविवाहित बेरोजगार व्यक्ति, विवाहित अपंग व्यक्तियों की स्थिति में पत्नी/पति और अवयस्क या अपंग वयस्क बच्चे जो उस पर पूर्णत: आश्रित है ।

(च) ''वित्तीय सहायता'' का अर्थ 60 वर्ष या व्यक्ति की मृत्यु तक, जैसी भी नियमों में निर्धारित हो, लगातार वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

(छ) ''अभिभावक'' का अर्थ राष्ट्रीय न्यास में संदर्भित ''कानूनी अभिभावक संबंधी पुस्तिका'' में यथापरिभाषित है ।

(ज) ''अन्वेषक'' का अर्थ समाज कल्याण विभाग द्वारा नियुक्त किसी सरकारी अधिकारी से है ।

(झ) ''विशेष जरूरत वाले व्यक्ति'' का अर्थ है किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित कम से कम चालीस प्रतिशत अपंगता से पीड़ित व्यक्ति से है ।

(ञ) ''अपंगता का अर्थ

(i) अंधता-उस स्थिति का उल्लेख करता है जहां कोई व्यक्ति निम्नलिखित स्थितियों से पीड़ित है, अर्थात् :-

(क) पूर्ण नेत्र दृष्टि का अभाव, या

(ख) 6/60 से अधिक दृष्टि इकट्ठी न हो ।

(ग) या क्रेकटिंग लेंस सहित अच्छी आंख 20/200 सनेलन से अधिक है ।

(ii) न्यून दृष्टि का अर्थ उपचार या मानक अपवर्तक सुधार के उपरांत भी दृष्टि कार्य प्रणाली की बाध्यता वाला कोई व्यक्ति, जो किसी कार्य के निर्वाहन या करने के लिये दृष्टि का प्रयोग कर सकता है या करने में समर्थ है ।

(iii) कुष्ठ रोग- का अर्थ कोई व्यक्ति जिसके कुष्ठ रोग का उपचार हो चुका हो लेकिन निम्नलिखित से पीड़ित है :

(क) हाथों और पावों का चेतना शून्य होना तथा आंखों तथा पलकों को चेतना शुन्य करना और पक्षाघात लेकिन किसी प्रकार की प्रेरक विकृति नहीं है ।

(ख) दिखाई देने वाली (प्रकट) विकृति और आंशिक पक्षाघात लेकिन उसके हाथ पांव भलीभाँति चल सकते हैं /काम कर सकते हैं ताकि वे सामान्य कामकाज कर सकें ।

(ग) अत्यन्त शारीरिक विकृति की उन्नत स्थिति जो उसे किसी लाभप्रद व्यवसाय करने से उसे रोकती है और अभिव्यक्ति ''उपचार हुआ कुष्ठ'' का अर्थ तदनुसार लिया जाएगा ।

(iv) सुनने में बाध्यता-का अर्थ बारम्बारता के संवादात्मक क्षेत्रों में श्रेयस्कर कान में 60 में डेसिबल या अधिक की क्षति :

(क) लोकोमोटर अपंगता का अर्थ हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अपंगता जिसके कारण अंगों के हिलने- डुलने में भरी बाधा आती हो या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का कोई रूप ।

(ख) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का अर्थ प्रसवपूर्व या प्रसवोत्तर या शिशु विकास की अवधि में मस्तिष्क आघात या चोट के परिणाम स्वरूप असामान्य प्रेरक नियंत्रण मुद्रा/आसन से प्रकट किसी व्यक्ति की उप्रगतिशील दशाओं का कोई समूह ।

(ग) आटिस्म धीमी गति से सीखना (आटिस्म) का अर्थ किसी व्यक्ति के सम्प्रेषण तथा सामाजिक योग्यताओं के मुख्यतः प्रभावित करने वाले अनियमित/कौशल विकास की दशा जो आवृत्ति मूलक या आनुष्ठानिक/रिट्यालस्टिक व्यवहार से ग्रस्त हो ।

(घ) मानसिक मंदबुद्धि का अर्थ किसी व्यक्ति के अनुरूद्ध या अपूर्ण विकसित मस्तिष्क की दशा जो बुद्धि की कम सामान्यता को विशेषरूप से बताता हो ।

(ङ) मानसिक रुग्णता का अर्थ कोई निदान इलाज योग्य व्यवहार मनोदशा, विचार या संज्ञानात्मक विकार जो अपने ही समाज में रहने, कार्य करने, सीखने या पूर्णतः भाग लेने में बाधा डालता है या सीमित करता हो ।

4. पात्रता

आवेदक निम्नलिखित शर्तों के पूरे करने पर वित्तीय सहायता का पात्र होंगे :

(v) आवेदक 0-60 वर्ष की आयु के बीच के होंगे ।

(vi) आवेदक एवं आवेदन पत्र देने की तिथि से पहले कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिये दिल्ली का निवासी होगा ।

(vii) आवेदक की उक्त धारा 3 (1) (ख) में यथापरिभाषित कम से कम चालीस प्रतिशत अपंगता होनी चाहिए ।

(viii) आवेदक की सभी स्रोतों से 75,000 रुपये (पिछत्तर हजार रुपये) से अधिक वार्षिक परिवारिक आय नहीं होगी ।

(xi) आवेदक इलैक्ट्रोनिक क्लीयरिंग सिस्टम से भुगतान प्राप्त करने के लिये किसी बैंक में "एकल संचालित" खाता होगा । यह उपबंध अवयस्कों, मानसिक रूप से विकलांग उन बच्चों की स्थिति में शिथिलनीय होंगे जो राष्ट्रीय न्यास नियमावली के अनुसार विधिक अभिभावक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं ।

5. **वित्तीय सहायता के लिये आवेदन पत्र**

(क) इस नियमावली के अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु आवेदक पत्र जीआरसी -एसके से उपलब्ध आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर किसी सक्षम उपायुक्त कार्यालय (जिला संसाधन केन्द्र) जिला समाज कल्याण अधिकारी, क्षेत्र का विधायक/सांसद, वित्तीय सहायता अनुभाग, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार जीएलएनएस परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली को किए जाएंगे या सामाजिक सुविधा संगम या समाज कल्याण विभाग के सरकारी वेबसाइट से इलैक्ट्रोनिकली डाउन-लोड किया जा सकेगा ।

(ख) आवेदक विधिवत् भरा आवेदन-पत्र सम्बद्ध जिला समाज कल्याण अधिकारी/सीआरसी-एसके/डीआरसी यूनिट को निम्नलिखित प्रलेखों के साथ प्रस्तुत करेंगे ।

(ii) आवास का प्रमाण-पत्र जो दिल्ली में निवास की कम से कम पांच वर्ष की अवधि दर्शाता हो । परिवार के सदस्यों (यथा उक्त परिभाषित) में से किसी से संबंधित प्रलेखों में से कोई एक प्रलेख आवास प्रमाण के लिये प्रस्तुत किया जा सकेगा -

1. राशन कार्ड
2. वोटर कार्ड
3. पासपोर्ट
4. ड्राइविंग लाइसेंस
5. दिल्ली नगर निगम/पंजीयक-जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
6. दिल्ली नगर निगम/पंजीयक-जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र
7. बीमा पॉलिसी कागजात
8. परिवार के किसी सदस्य का टीकाकरण कार्ड
9. दिल्ली में उपचार का चिकित्सीय अभिलेख
10. बिजली का बिल
11. पानी का बिल
12. टेलिफोन का बिल
13. गैस कनेक्शन की रसीद
14. बैंक की पासबुक
15. दिल्ली में जारी जाति प्रमाण पत्र
16. विद्यार्थी पहचान पत्र
17. सार्वजनिक/प्राइवेट सैक्टर कंपनी/स्थापित संस्थान का सेवा पहचान कार्ड
18. स्वतंत्रता सेनानी का पहचान पत्र
19. पैंशन कागजात
20. भूतपूर्व सैनिक आश्रित प्रमाण पत्र
21. संपत्ति दस्तावेज
22. कोई अन्य प्रमाण पत्र जिससे दिल्ली में पांच वर्ष रहना स्पष्ट हो ।

(ii) दिल्ली सरकार या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी अपंगता प्रमाण पत्र की प्रति ।

(ग) फार्म में दी गई उसके/उसकी परिवार की आय तथा रोजगार स्थिति संबंधी आवेदक द्वारा स्वघोषणा ।

(घ) यदि आवेदक अपने फार्म सीधे ही जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं तो सारे दस्तावेज स्वप्रमाणित होंगे । यदि जीआरसी-एसके/डीआरसी के माध्यम से आवेदन-पत्र दिये जा रहे हैं तो जीआरसी-एसके या डीआरसी समन्वयकों द्वारा ।

(ङ) यदि का निवास के संबंध में प्रमाण आवेदक के पास कोई "प्रलेखन प्रमाणन पत्र" उपलब्ध नहीं है ।

(i) इसके अलावा जीआरसी-एसके समन्वयक द्वारा प्रतिनियुक्त क्षेत्रस्थ स्टाफ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में आवेदक के ठहरने

की अवधि संबंधी क्षेत्र के कम से कम निम्नलिखित के बयान दर्ज करेगा ।

(ii) यदि आवेदक सीधे ही समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन दे रहा हो । इसी प्रकार की स्थिति में, तो आवेदक डीएसडब्ल्यूओ/डीएसडब्ल्यूओ द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्रतिनियुक्त किसी अधिकारी के सामने निम्नलिखित सूची में उल्लिखित कोई दो गवाहिया प्रस्तुत करने की आवश्यकता है ।

(क) जनप्रतिनिधि जैसे क्षेत्र का सांसद, क्षेत्र का विधायक,

(ख) आवासीय कल्याण संघ का अध्यक्ष अथवा महासचिव,

(ग) आवेदक के दो पड़ोसी उनके संपर्क विवरण सहित,

(घ) पंजीकृत महिला एसएचजीएस/महिला मंडल की अध्यक्ष अथवा महासचिव,

(ङ) आईसीडीएस पर्यवेक्षक/क्षेत्र के आशा कार्यकर्ता,

(च) केन्द्र/दिल्ली सरकार का राजपत्रित अधिकारी ।

(iii) गवाह के बयान के साथ फोटो पहचान के लिये सम्बद्ध प्रलेख, निवास स्थान और गवाहों के ठहरने की अवधि आवेदन-पत्र के साथ प्रमाण भी संलग्न करने होंगे । यह भी साफ-साफ दर्शाया हो कि गवाह स्वयं अनेक वर्षों से उसी क्षेत्र में रह रहे हैं जितने वर्षों से उन्होंने आवेदक को जानने का दावा किया है । यह सब पर लागू होगा, क्षेत्र के सांसद, क्षेत्र के विधायक जैसे जन-प्रतिनिधित्यों के अलावा ।

6. **सहायता का सत्यापन एवं स्वीकृति**

सम्बद्ध जिला समाज कल्याण अधिकारी जो आर सी एस के/डीआरसी की सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर सहायता के भुगतान के सत्यापन एवं संस्वीकृति के लिये तथा प्रस्तुत दस्तावेजों की विषय वस्तु की जांच पड़ताल के लिये सक्षम प्राधिकारी होंगे । जीआरसीएसके/डीआरसी द्वारा प्रस्तुत सभी मामलों के 5 प्रतिशत मामले या संदेहास्पद मामलों में सक्षम प्राधिकारी विभागीय अन्वेषकों या अन्य अधिकारियों या प्रयोजन के लिये विशेष रूप से प्रतिनियुक्त आंगनवाडी कार्यकर्ता से सत्यापन करवा सकते हैं ।

7. **सहायता राशि व भुगतान पद्धति**

(क) इस योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के अनुसार लाभग्राही के बैंक/डाक घर खाते में 1000 रुपये (एक हजार रुपये मात्र) प्रति व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक के ईसीएस के माध्यम से भत्ते को त्रैमासिक रूप से छोड़ा जाएगा ।

(ख) सहायता उसी माह से भुगतान योग्य हो जाएगी जब से यह स्वीकृत हुई है ।

8. **रोजगार प्राप्त करने/लाभग्राही की अपंगता स्थिति में परिवर्तन :-**

(i) यदि लाभग्राही कोई रोजगार प्राप्त करता है, नौकरी करने लागत है तो लाभग्राही को भत्ता बंद करानें के लिये ऐसी नौकरी मिलने के एक माह के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा ।

(ii) इसी प्रकार यदि लाभग्राही का अपंग स्तर चालीस प्रतिशत से कम हो जाता है तो लाभग्राही को भत्ता बंद करने के लिये ऐसी स्थिति के परिवर्तन संबंधी एक माह के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा ।

(iii) यदि लाभग्राही ऐसा करने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी को पूर्वोक्त रोजगार मिलने पर/अपंगता स्थिति के परिवर्तन होने की तिथि से दी गई भत्ता/धनराशि वसूल करने का अधिकार होगा ।

9. **वित्तीय सहायता रोकना**

1. सक्षम प्राधिकारी को सहायता के भुगतान को बंद करने/सहायता को रोकने का अधिकार होगा, यदि किसी अवस्था में यह पाया जाता है कि यह झूठी जानकारी प्रस्तुत करने पर स्वीकृति दी गयी या जिस शब्द के लिए सहायता दी गई थी वह अब समाप्त हो चुकी है ।

2. यह भी, यदि सहायता झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मंजूर की गई थी तो दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी और झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले लोगों के विरुद्ध उपयुक्त देनदारी नियत की गई ।

3. यदि कोई व्यक्ति व्यसायिक भाग का सहारा लेता है अर्थात् यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो तथा उसे चेतावनी दी गई हो या न्यायालय द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही की जा रही हो तो सहायता राशि जब्त कर ली जाएगी ।

4. लाभग्राही की मृत्यु होने पर भुगतान की जाने वाली सहायता बन्द की जाएगी तथा यदि व्यक्ति किसी विशेष अवधि के लिए सहायता प्राप्त करने से पूर्व मर जाता है तो राशि समाप्त हो जाएगी ।

10. **पते में परिवर्तन**

1. आवेदक पते में किसी प्रकार के परिवर्तन संबंधी आवास के प्रमाण सहित पते के ऐसे परिवर्तन के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को एक माह के भीतर सूचित करेगा ।

2. दिल्ली से बाहरी स्थायी रूप से स्थानांतरित होने वाले व्यक्ति इस सहायता के पात्र नहीं होंगे ।

11. **अपीलीय प्राधिकारी**

किसी शिकायत की स्थिति में आवेदक समाज कल्याण विभाग के निदेशक को इस संबंध में अपनी शिकायत के समाधान हेतु अपील कर सकते हैं । निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा ।

12. **विविध**

(क) 60 वर्ष की आयु होने पर लाभग्राही स्वत: वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत स्थानान्तरित हो जायेंगे ।

(ख) यदि आवेदक ने "सामाजिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों को वित्तीय सहायता" योजना के अधीन पहले से ही सहायता प्राप्त कर रहा हो तो उसे फिर भी इन योजनाओं के अधीन सहायता जारी रखी जाएगी, यदि वे अन्य पात्रता मापदंड को पूरा करते हों ।

(ग) वित्तीय सहायता की निम्नलिखित योजनाओं के सहायता पाने के इच्छुक लाभग्राहियों को वंचित नहीं किया जाएगा - लाडली, जन श्री बीमा योजना दिल्ली असहाय महिला पेंशन स्कीम दिव्यांगजन पेंशन, विशेष रूप से जरूरतमंद व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, विधवाओं को कन्याओं के विवाह हेतु समाज कल्याण विभाग में विद्यमान अन्य वित्तीय सहायता योजनाएं तथा साथ-साथ तथा बाल विकास योजना शर्त यह है कि मानकों को पूरा करते हो ।

(घ) इस योजना का प्रति तीन वर्ष में एक बार समीक्षा तथा मूल्यांकन किया जाएगा ।

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 4th November, 2009

F. 3(1)/FAS/UAPWD/DSW/06-07/1880-1891.—In supersession of 'Delhi Unemployment Allowance & Subsistence Allowance Scheme for Persons with Special Needs, 2008, published vide Notification No. F. 3(1)FAS/UAPWD/DSW/06-07/9164-174 dated 17th April, 2008, the Lt.Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to frame the following rules for assistance of the caregivers of childern with special needs and unemployed persons with disabilities.

1. **Short Title, Extent and Commencement :**

(a) These rules may be called 'Financial Assistance to Persons with Special Needs, 2009'.

(b) These rules shall extend to the whole of the National Territory of Delhi.

(c) These rules shall come into force with effect from date of notification.

2. **Aims and Objectives :**

1. To facilitate the care of children with special needs, acknowledging the high cost of care giving.

2. To facilitate training and employability of persons with disability, so that they may fulfil their role and potential in society and lead a life of dignity.

3. To help ensure survival of the person with special needs and their family.

3. **Difinitions :**

In this scheme unless the context otherwise requires,—

a. "Act" means the 'Persons With Disabilites (Equal Opportunities, Protection of Right and Full Participation) Act, 1995' (1 of 1996)

b. "Applicant" means 'a person with special needs' between 0-below 60 years of age,who has applied for the financial assistance under this scheme or his/her parent(s),or the legal guardian or spouse or an adult child of the person;

c. "Application form" means form prescribed under these rules;

d. "Competent authority" means the authority competent to sanction the financial assistance under paragraph 6;

e. "Family" means parents or if the parent(s) are not alive then legal guardian in case of minor, unmarried, unemployed disabled person(s). In case of married disabled persons, it means wife/husband and minor or disabled adult childern solely dependant on him/her.

f. "Financial Assistance" means recurring financial aid till the age of below 60 years or the death of the person, as prescribed in these rules.

g. "Guardian" means as defined in the 'Handbook on Legal Guardianship' referred to in The 'National Trust'.

h. "Investigator" means an official appointed by the Department of Social Welfare.

i. "Person with special needs" means a person suffering from not less than forty per cent of any disability as certified by a medical authority;

j. "Disability" means—

(i) **Blindness**—refers to a condition where a person suffers from any of the following conditions, namely:—

a. Total absence of sight; or

b. Visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (snellen) in the better eye with correcting lenses; or

c. Limitation of the filed of vision subtending angle of 20 degree or worse;

(ii) **Low vision**—means a person with impairment of visual functioning even after treatment or standard refractive correction but who uses or is potentially capable of using vision for the planning or execution of a task with appropriate assistive device;

(iii) **Leprosy-cured**—means any perosn who has been cured of leprosy but is suffering from:—

a. Loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye any eye lid but with no manifest deformity;

b. Manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

c. Extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall be construed accordingly.

(iv) **Hearing impairment**—means loss of sixty decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies.

(a) **Locomotors disability**—means disability of the bones, joints or muscles leading

tosubstantial restriction of the movement of the limbs or any form of cerbral palsy.

(b) **Cerebral palsy**- means a group of non-progressive condition of a person characterized by abnormal motor control posture resulting from brain insult or injuries occurring in the pre-natals, peri-natal or infant period of development.

(c) **Autism**- means a condition of uneven skill development primarily affecting the communication and social abilities of a person, marked by repetitive and ritualistic behaviour.

(d) **Mental retardation**- means a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, which is specially characterized by sub normality of intelligence.

(e) **Mental illness**- means any diagnosable behavioural, mood, thought perception or cognitive disorder that interferes with or limits a person's abilty to live,work,learn and participate fully in his or her community.

4. Eligibility:

The applicant shall be entitled for financial assistance on the fulfillment of following conditons:—

(v) The applicants shall be between the ages 0-60 years;

(vi) The applicant shall be a resident of the National Capital Territory of Delhi for at least five years preceding the date of submission of application;

(vii) The applicant should have disability not less than forty per cent of any disability as defined under Section 3(1) (b) above;

(viii) The applicant shall not have the annual family income more than Rs. 75,000 (Rupees Seventy Five Thousand only) from all sources;

(ix) The applicant shall have a 'singly-operated' account in any Bank for receiving the payment through electronic clearing system. This provision may by relaxed in the case of minors, mentally challenged applicants or those who come under the purview of Legal Guardianship as per rules of National Trust.

5. Application for financial assistance :

(a) An application for financial assistance under these rules shall be made on prescribed form,which shall be available from GRC-SK, Deputy Commissioner's Office (District Resourc Centre), the Office of the District Social Welfare Officer, area MLA/MP, Financial Assistance Section, Department of Social Wefare, GNCT of Delhi, GLNS Complex, Delhi Gate, New Delhi or electronically downloaded from official websites of Samajik Suvidha Sangam or Department of Social Wefare.

(b) The applicant shall submit the duly filled application form to the concerned District Social Wefare Officer/GRC-SK/DRC Unit, along with the following documents:-

i. Proof of residence, which clearly shows at least 5 years of residence in Delhi. Any one of the following documents of any of the family members (as defined above) only may be submitted for residence proof—

1. Ration card
2. Voter card
3. Passport
4. Driving license
5. Birth certificate issued by MCD/Registrar-Births & Deaths
6. Death certificate issued by MCD Registrar-Births & Deaths
7. Insurance policy document
8. Immunization card of the family member
9. Medical records of treatment in Delhi
10. Electricity bill
11. Water bill
12. Telephone bill
13. Gas connection receipt
14. Bank passbook
15. Caste certificate
16. Student I card
17. Service identity card of public/private sector company/ established concern
18. Freedom fighter identity card
19. Pension document
20. Ex-servicemen dependant certificate
21. Property document
22. Any other which clearly shows at least 5 years of residence in Delhi

ii. A copy of disability certificate issued by the Medical Board of the notified Hospitals of Govt. of NCT of Delhi or Govt. of India.

c. A self-declariation by the applicant regarding his/ her family income & employment status as given in the form.

d. All documents shall be self-attested in case of applicants submitting their forms directly to District Social Wefare Officer and by the GRC-SK or DRCCoordinators, if the application is being made through GRC-SK/ DRC.

e. In case **'No Documentary Evidence'** is available with the applicant in r/o proof of residence, proof of unemployment—

i. The field staff deputed by GRC-SK Coordinator shall record statement of atleast two of any of the following persons from the area about the applicant.

ii. In case the applicant is applying directly to the District Social Welfare Officer, in a similar situation, the applicant will need to produce any of the two witnesses from the following list in front of the DSWO/ any official deputed by the DSWO for the said purpose.

a. Public representative such as MP of the area, MLA of the area

b. President or General Secretary of RWA of the locality

c. Two neighbours of the applicant with their contact details

d. Registered women SHGs'/Mahila Mandals' President or General Secretary

e. ICDS Supervisors/ASHA workers of the area

f. Gazetted Officer of the Central/Delhi Govt.

iii. Along with the witness's statement, the relevant document for the photo identity proof, residence and length of stay for the witnesses shall also have to be appended with the application, clearly showing that the witnesses themselves have been around in the same area for the number of years they claim to have known the applicant. This would apply for all except Public representative such as MP of the area, MLA of the area.

6. Verification and sanction of assistance :

The concerned District Social Welfare Officer shall be the competent authority for verification and sanction of the payment of unemployment allowance on the basis of survey report of GRC-SK/DRC as also by screening the contents of the documents submitted. As a test check, in 5% of all cases submitted by the GRC-SK/DRC or in doubtful cases, the Competent Authority may get the verification conducted through the departmental investigators or other officials or Anganwadi workers specially deputed for the purpose.

7. Quantum of assistance and Mode of payment :

(a) Subject to the fulfilment of the provisions of the scheme, an allowance will be remitted quarterly in the bank account of the beneficiary @ Rs. one thousand per month per head through ECS of RBI.

(b) The assistance shall become payable from the month from which it is sanctioned.

8. In case of attaining employment/change of disability status of the beneficiary :

(i) If the beneficiary accepts/joins any employment, it will be mandatory upon the beneficiary to inform the Competent Authority within one month of attaining such a job, for discontinuation of allowance.

(ii) Similarly, if the disability level of the beneficiary becomes less than forty per cent, it will be mandatory for the beneficiary to inform the Competent Authority within one month of change of status, for discontinuation of allowance.

(iii) If the beneficiary fails to do so, the Competent Authority shall have the right to recover the amount of allowance remitted since the attainment of the aforesaid employment/change of disability status.

9. Stopping of the Financial Assistance:

1. The Competent Authority shall have the right to stop payment of assistance, if at any stage it is found that it was sanctioned on furnishing of false information or the conditions for which the allowance was granted no longer exists.

2. Also, if the assistance was sanctioned on furnishing of false documents, penal action shall be initiated and appropriate liability levied against people furnishing false documents.

3. If a person resorts to professional begging, i.e. if the person has been apprehended and warned or any other proceedings conducted by the court in this regard against him/her, the assistance shall be forfeited.

4. Assistance shall cease to be payable on the death of the beneficiary and if the person dies before receiving assistance for a particular period, the same shall lapse.

10. Change of Address:

1. The applicant shall intimate any change of address alongwith proof of residence to the Competent Authority within one month of such change.

2. Persons shifting to a place outside Delhi permanently shall not be eligible for this assistance.

11. Appellate Authority :

In case of any grievance, the applicant may appeal to the Director, Deptt. of Social Welfare for redressal of his/her grievance in this regard. The decision of the Director shall be final.

12. Miscellaneous :

(a) The beneficiaries who attain the age of 60 years shall automatically be transferred to the Old Age Pension Scheme;

(b) If the applicant has already taken one-time assistance under the scheme 'Financial Assistance to Socially and Physically Disadvantaged, Old and Infirm Persons' they can still avail of assistance under this scheme if they fulfil the other eligibility criteria;

(c) The beneficiaries of the scheme shall not be debarred from seeking assistance in the following schemes of financial assistance-Ladli, NFBS, Jan Shree Beema Yojana, Widows' daughter marriage and/or any other financial assistance scheme in existence in the Department of Social Welfare and Women and Child Development simultaneously, provided they fulfil the norms.

(d) The Scheme would be reviewed and evaluated every three years.

सं.फा. 41(21)/डीएसडब्ल्यू/एफएएस/एससीएच./संशो./09-10/1892-1904.- अधिसूचना सं. फा.54(ए-16)/74-डीएसडब्ल्यू/योजना के अनुसार प्रकाशित दिल्ली प्रशासन वृद्धावस्था सहायता नियमावली, 1975 के अतिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के उन वरिष्ठ नागरिकों जिनके पास सहयोग के साधन नहीं हैं अथवा पर्याप्त साधन नहीं है, की सहायता के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है ।

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–**

(क) इन नियमों को वृद्धावस्था सहायता नियमावली, 2009 कहा जाये ।

(ख) ये नियम संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होंगे ।

(ग) ये नियम दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. **लक्ष्य एवं उद्देश्य :–**

उन असहाय, वृद्ध व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के रूप में सामाजिक संरक्षा उपलब्ध कराना इन नियमों का उद्देश्य है जिनके पास निर्वाह का कोई साधन नहीं और उनकी जीवन संध्या में उनका सहयोग करने वाला कोई नहीं है ।

3. **परिभाषाएं:–**

(क) ''आवेदक'' का अर्थ सहायता चाहने वाले व्यक्ति से है ।

(ख) ''आवेदन पत्र'' का अर्थ इन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र से है ।

(ग) ''परिवार'' का अर्थ पत्नी/पति, अवयस्क बच्चे, विकलांग बच्चे, अविवाहित अथवा तलाकशुदा/परित्यक्त, पुत्रियां/बहिनें, माता-पिता जो आवदेक पर पूर्णतः आश्रित हैं तथा कमाने वाले बच्चे आवेदक के साथ रसोई के खर्चे में सहयोग कर रहे हैं, से है ।

(घ) ''वित्तीय सहायता'' का अर्थ इन नियमों में यथानिर्धारित मृत्यु तक आवर्ती वित्तीय सहायता से है ।

(ङ.) ''अन्वेषक'' का अर्थ समाज कल्याण विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी से है ।

(च) ''वृद्ध'' का अर्थ 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्ति से है ।

(छ) ''संस्वीकृति प्राधिकारी'' का अर्थ जिला समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से है ।

4. **पात्रता :**

वित्तीय सहायता के लिये पात्र उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी ।

(क) 60 वर्ष से अधिक ।

(ख) आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम पांच वर्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी हो ।

(ग) उसकी वार्षिक पारिवारिक आय सभी स्रोतों से 60,000 रुपये (साठ हजार रुपये) से अधिक न हो।

(घ) by Electronic Clearing System (ECS) के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिये किसी बैंक में अथवा डाकघर में उसका केवल ''एकल संचालित'' खाता होगा । यह उपबंध मानसिक रूप से विकलांग आवेदकों या राष्ट्रीय न्यास नियमावली के अनुसार कानूनी अभिभावक के क्षेत्र में आने वाले आवेदक की स्थिति में शिथिलनीय है ।

(ङ) जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अथवा इस उद्देश्य के लिए किसी अन्य स्रोत से किसी प्रकार की पेंशन/वित्तीय सहायता प्राप्त न करता हो ।

5. **वित्तीय सहायता के लिये आवेदन पत्र**

(क) इस नियमावली के अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु आवेदक पत्र जीआरसी-एसके से उपलब्ध आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर किसी सक्षम उपायुक्त कार्यालय (जिला संसाधन केन्द्र) जिला समाज कल्याण अधिकारी, क्षेत्र का विधायक/सांसद, वित्तीय सहायता अनुभाग, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार जीएलएनएस परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली को किए जाएंगे या सामाजिक सुविधा संगम या समाज कल्याण विभाग के सरकारी वेबसाइट से इलैक्ट्रोनिकली डाउन-लोड किया जा सकेगा ।

(ख) आवेदक विधिवत् भरा आवेदन-पत्र सम्बद्ध जिला समाज कल्याण अधिकारी/सीआरसी-एसके/डीआरसी यूनिट को निम्नलिखित प्रलेखों के साथ प्रस्तुत करेंगे ।

(i) आवास का प्रमाण-पत्र जो दिल्ली में निवास की कम से कम पांच वर्ष की अवधि दर्शाता हो । परिवार के सदस्यों (यथा उक्त परिभाषित) में से किसी से संबंधित प्रलेखों में से कोई एक प्रलेख आवास प्रमाण के लिये प्रस्तुत किया जा सकेगा -

1. राशन कार्ड
2. वोटर कार्ड
3. पासपोर्ट
4. ड्राइविंग लाइसेंस